जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यांश के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति"(एस.एल.एस.सी.) की दिनांक 10 अप्रैल, 2013 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति

सर्वश्री–

1.श्रीप्रकाश सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2.वी0 के0 चौरसिया, संयुक्त सलाहकार, सी.पी.एच.ई.ई.ओ. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2.श्रीमती प्रोमिला भल्ला, एसोसियेट टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानर, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग आर्गेनाइजेशन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3.एन0 के0 सिंह, निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
4.उमा शंकर सिंह, उप सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5.जिन्नूरैन अहमद खॉ, उप सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6.अरूण कुमार दुबे, अनु सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
7.अजय स्वरूप, संयुक्त निदेशक, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8.ए0 के0 मित्तल, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9.के0 के0 अग्रवाल, टीम लीडर, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
10.प्रेम आशुदानी, मुख्य अभियंता, सी.एण्ड.डी.एस. उ0प्र0 जल निगम,
11.आर0 के0 गर्ग, मुख्य अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, फैजाबाद।
12.राकेश चन्द्र वर्मा, मुख्य अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
13.सी0 के0 त्यागी, मुख्य अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, गोरखपुर।
14.आर0 के0 द्विवेदी, मुख्य अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, वाराणसी।
15.आर0 एस0 श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, झॉसी।
16.एस0 के0 गुप्ता, मुख्य अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
17.पी0 के0 सिन्हा, मुख्य अभियंता (नागर), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
18.वी0 पी0 सिंह, मुख्य अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद।
19.के0 के0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
20.जे0ए0अंसारी,महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रणइकाई,उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
21.ए0 के0 राय, महाप्रबन्धक, सी.एण्ड.डी.एस. उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
22.दिनेश चन्द्रा, अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, बरेली।
23.ए0 पी0 यादव, परियोजना प्रबन्धक, सी.एण्ड.डी.एस. उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
24.निजामुद्दीन खॉ, परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम,
25.सी0 जी0 दुबे, अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, देवरिया।
26.जे0 बी0 राय, परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, वाराणसी।
27.डी0 के0 शुक्ला, अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, झॉसी।
28.राम बिहारी अग्रवाल, अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, बांदा।
29.राजेन्द्र सिंह, परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम,
30.मो0 ताहिर, अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, औरैया।
31.विनोद कुमार, अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद।

32.एस0 के0 गुप्ता, परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कन्नौज।
33.मुन्ना सिंह, अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, बदायूँ।
34.जे0 पी0 सिंह, अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, फिरोजाबाद।
35. ओ0पी0 सिंह, परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, गोरखपुर।
36. जी0 लाल, सहायक अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, फिरोजाबाद।
37.महेन्द्र राम, सहायक अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, गाजीपुर।
38.अरविन्द, सहायक अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, आजमगढ़।

बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श हुआ :–

एजेण्डा बिन्दु 1. जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यांश के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के कियान्वयन/प्रगति समीक्षा हेतु "राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति" (एस.एल.एस.सी.) की बैठक दिनांक 27.07.2011 के कार्यवृत्त के सापेक्ष अनुपालन आख्या।

अवगत कराया गया कि बरेली पेयजल पुनर्गठन परियोजना पर सीपीएचईईओ, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त आपत्तियों पर निराकरण आख्या भारत सरकार को प्रेषित की गई। शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जे.एन.एन.यू. आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी कार्यांश के अन्तर्गत उक्त परियोजना की डी.पी.आर. अनुमानित लागत ₹ 7800.04 लाख की स्वीकृति दिनांक 07 जून, 2012 को प्रदान की गई है।

रामपुर सड़क एवं ऊपरिगामी सेतु परियोजना के स्थान पर प्रस्तावित 03 परियोजनाएं– बरेली पेयजल पुनर्गठन, अयोध्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं फैज़ाबाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाएं समिति द्वारा गत बैठक में स्वीकृत किये जाने के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराया गया कि बरेली पेयजल पुनर्गठन परियोजना पर सीपीएचईईओ, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त आपत्तियों पर निराकरण आख्या भारत सरकार को प्रेषित की गई। शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यांश के अन्तर्गत उक्त परियोजना के डी.पी.आर. अनुमानित लागत रू. 7800.04 लाख की स्वीकृति दिनांक 07 जून, 2012 को प्रदान की गई तथा परियोजना की अद्यतन् भौतिक प्रगति 25 प्रतिशत है। परियोजना पर रू. 18.20 करोड़ की धनराशि व्यय हो चुकी है, अयोध्या व फैजाबाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजनाओं पर सीपीएचईईओ, भारत सरकार से प्राप्त आपत्तियों का निराकरण अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अयोध्या एवं फैजाबाद के पत्र दिनांक 1472/एनपीपी/11 दिनांक 23.12.2011 एवं 1274/एनपीपी/11 दिनांक 22.12.2011 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। इन परियोजनाओं पर धनावंटन भारत सरकार स्तर पर प्रतीक्षित है।

निर्देश दिये गये कि उक्त दोनों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाओं को अद्यतन् शिड्यूल आफ रेट्स के आधार पर पुनरीक्षणोपरान्त पुनरीक्षित डी.पी.आर. अविलम्ब भारत सरकार को प्रेषित करते हुए स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास किया जाये तथा भूमि की व्यवस्था राज्य सेक्टर से की जा सकती है। प्रोसेसिंग प्लांट हेतु भूमि की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाय।

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यांश की परियोजनाओं की "इन्डीपेन्डेन्ट रिव्यू एण्ड मानीटरिंग एजेन्सी"(आई.आर.एम.ए.) नियुक्त किये जाने के सम्बंध में अवगत कराया गया कि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार पत्र संख्या के–14011/21/2008–यू.डी.–। दिनांक 19.11.2009 एवं पत्र संख्या के–14011/21/2008–यू.डी–। दिनांक 03.05.2009 द्वारा यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यांश के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में से अधिकतम् लागत के क्रम में 10 प्रतिशत परियोजनाओं {अर्थात् 6 परियोजनाओं} का इरमा कार्य कराये जाने के सम्बंध में निर्गत दिशा--निर्देश के अनुसार कार्यक्रम के मार्च, 2012 से मार्च, 2014 तक के एक्स्टेन्डेड फ़ेज़ में यू.आई.जी. कार्यांश के अन्तर्गत स्वीकृत व निमार्णाधीन परियोजनाएं तथा यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यांश के अन्तर्गत उक्त मानक के अनुसार 6 परियोजनाओं–गाज़ियाबाद रोड़स एंड फ्लाई ओवर, फ़िरोज़ाबाद सीवरेज, लोनी सीवरेज, लोनी पेयजल. मैनपुरी सीवरेज तथा बरेली पेयजल का इरमा कार्य कराये जाने के लिये अनुमोदित "आर.एफ.पी." (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) पर भारत सरकार द्वारा 'शार्टलिस्टेड' 20 फर्मों से प्रस्ताव (टेक्निकल एवं फाइनैन्शियल) दिनांक 11.5.2012 तक आमन्त्रित किये गये। उक्त आर.एफ.पी. पर 5 फ़र्मों के प्रस्ताव प्राप्त हुए। एस.एल.एन.ए. द्वारा गठित "टेन्डर इवैलूएशन कमेटी" भारत सरकार की "टूल–किट" में निर्धारित पैरामीटर्स के सापेक्ष प्राप्त टेक्निकल बिड्स का मूल्यांकन किया गया। कमेटी द्वारा 3 फ़र्म यथा–मेसर्स कन्सल्टिंग इन्जीनियरिंग सर्विसेज (इण्डिया) प्रा. लि., नई दिल्ली, मैसर्स वाटर एण्ड पावर कन्सल्टेन्सी सर्विसेज़ (इण्डिया) लि.,गुड़गॉव {भारत सरकार का एक उपक्रम} एवं मेसर्स एस.एन.सी.–लवलीन इनफ़्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., नोयडा के टेकनिकल बिड्स क्वालिफ़ाईड पाये गये। उक्त कमेटी की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में तथा मैसर्स कन्सल्टिंग इन्जीनियरिंग सर्विसेज (इण्डिया) प्रा.लि.,नई दिल्ली का वित्तीय प्रस्ताव खुली स्थिति में (अर्थात बन्द लिफ़ाफ़े में नहीं) प्राप्त होने को परामर्शी मूल्यांकन समिति द्वारा बैठक दिनांक 15.01.2013 में संज्ञान लेते हुए प्रथम न्यूनतम् निविदादाता फ़र्म मेसर्स एस.एन.सी.–लवलीन इनफ़ास्ट्रक्चर प्रा.लि., नोयडा के द्वारा प्रस्तावित इरमा कार्य कराये जाने की संस्तुति की गई, जिसका अनुमोदन शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की सी.एस.एम.सी.('सेन्ट्रल सैंक्शनिंग एण्ड मानीटरिंग कमेटी') की बैठक दिनांक 26.02.2013 में प्रदान की गयी है। प्रश्नगत कार्य हेतु कान्ट्रैक्ट एग्रीमेंट सम्पादित कराते हुए इरमा कार्य तत्काल प्रारम्भ किये जाने हेतु प्रथम न्यूनतम् निविदादाता फ़र्म द्वारा कतिपय कारणवश शीघ्र अनुबंध किये जाने एवं इरमा कार्य प्रारम्भ कर पाने में असमर्थता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की गई है कि "Kindly consider our position and if you are in hurry to appoint IRMA immediately then we request you that you may find out different IRMA for your ongoing works". कतिपय परियोजनाओं (यू.आई.जी. कार्यांश) के उपयोगिता प्रमाण पत्र इरमा रिपोर्ट्स एवं इसके सापेक्ष अनुपालन आख्या की प्रत्याशा में शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा धनावंटन हेतु विचार किये जाने के लिये लम्बित रखे जाने, तथा कतिपय उपयोगिता प्रमाण पत्र इरमा रिपोर्ट्स एवं इसके सापेक्ष अनुपालन आख्या के अभाव में प्रेषित न हो पाने के परिणामस्वरूप इरमा कार्य तत्काल प्रारम्भ कराये जाने की अपरिहार्यता के दृष्टिगत परामर्शी मूल्यांकन समिति द्वारा बैठक दिनांक 25.03.2013 में प्रस्तावित इरमा कार्य हेतु पायी गई द्वितीय न्यूनतम् निविदादाता संस्था मैसर्स वाटर एण्ड पावर कन्सल्टेन्सी सर्विसेज़ (इण्डिया) {वाप्कोस} लिमिटेड, गुड़गॉव के चयन हेतु परामर्शी मूल्यांकन समिति की संस्तुति शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार को

अनुमोदनार्थ प्रेषित की जा चुकी है, तथा उक्त संस्तुति स्वीकृति हेतु भारत सरकार के विचाराधीन है।

जेएनएनयूआरएम के यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श में स्वीकृत 64 परियोजनाओं में से 26 परियोजनाओं यथा–बलिया पेयजल, गोण्डा पेयजल, मुज़फ्फरनगर पेयजल, एटा पेयजल, लहरपुर पेयजल, बागपत पेयजल, फैज़ाबाद पेयजल, बिजनौर पेयजल, हापुड़ पेयजल, मुरादाबाद पेयजल, गोरखपुर पेयजल, कन्नौज पेयजल, बस्ती रोड्स एंड फ्लाई ओवर, मैनपुरी सीवरेज, गाज़ीपुर पेयजल, नानपारा पेयजल, सम्भल पेयजल, फ़तेहपुर पेयजल, गाज़ियाबाद पेयजल, सण्डीला पेयजल, बलरामपुर पेयजल, पडरौना पेयजल, मऊ पेयजल, देवरिया पेयजल, फ़िरोज़ाबाद सीवरेज व गाज़ियाबाद रोड्स एण्ड फ्लाई ओवर के डी.पी.आर. के संशोधन/पुनरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में गत बैठक में निर्देश दिये गये थे।

बैठक में कतिपय परियोजनाओं के स्कोप में परिवर्तन से अवगत कराया गया। इनमें गाज़ियाबाद रोडस एण्ड फ्लाई ओवर परियोजना, फ़िरोज़ाबाद सीवरेज परियोजना, गाज़ियाबाद (टीएचए) पेयजल परियोजना, गाज़ीपुर पेयजल परियोजना का उल्लेख किया गया। ऐसी परियोजनाओं के संशोधित डी.पी.आर. भारत सरकार को प्रेषित किये जायं, का अनुपालन न हो पाने की स्थिति को गम्भीरता से लिया गया तथा कड़े निर्देश दिये गये कि सम्बंधित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम/गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त का अनुपालन एक सप्ताह में सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या शासन को प्रेषित की जाय।

(कार्यवाही: उ.प्र.जल निगम/गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण/सी.एण्ड.डी.एस. /सम्बंधित नगर निकाय/शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

<u>एजेण्डा बिन्दु 2</u>.–जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के वर्तमान चरण के "एक्स्टेन्डेड फ़ेज़" में यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यांश के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं की शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति हेतु अनुमोदित किये जाने के सम्बंध में।

उक्त एजेण्डा बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में समिति के समक्ष 17 नई परियोजनाओं कुल अनुमानित लागत ₹ **1879.49** करोड़ के अन्तर्गत प्रस्तावों को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया। समिति के समक्ष 5 नई परियोजनाओं, कुल अनुमानित लागत ₹ **381.265** करोड है, के अन्तर्गत प्रस्तावों को भी विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया, जो संक्षेप में निम्नवत है:–

(2.1) **बाँदा पेयजल पुनर्गठन परियोजना**–परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 293.47 करोड़ का प्रस्ताव निम्नानुसार सूचित किया गया :–

1– लक्ष्य–बाँदा नगर की पेयजल व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जाना।

2– जल का श्रोत–बाँदा नगर से 40 कि.मी. दूर स्थित चिल्ला कस्बे में यमुना नदी से 25 क्यूसेक (56 एम.एल.डी.) कच्चा जल {जिसे लेने की स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग भारत सरकार से प्राप्त है}।

3– परियोजना से लाभान्वित जनसंख्या 4.00 लाख एवं पेयजल आपूर्ति में वृद्धि 51 एम.एल.डी.।

4– परियोजना में प्रस्तावित कार्य–चिल्ला घाट पर 25 क्यूसेक रा–वाटर इन्टेक वर्क्स, 40 एम.एल.डी. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 4 नग उच्च जलाशय कुल क्षमता 8500 कि.ली., 6 नग भूमिगत जलाशय कुल क्षमता 2900 कि.ली., 147 कि.मी. वितरण प्रणाली का प्राविधान है।

5– परियोजना से राजस्व में ₹ 32.00 लाख की वार्षिक वृद्धि अनुमानित है।

सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा परियोजना की स्वीकृति इंगित लागतों की सीमा में इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि परियोजना का तकनीकी अप्रेजल सी.पी.एच.ई.ई.ओ., शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से करा लिया जाय। साथ ही परियोजना में स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय को पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु मा. मुख्य मन्त्री जी के आदेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही: शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार/उ.प्र.जल निगम/एसएलएनए/ सम्बंधित नगर निकाय)

(2.2) झाँसी पेयजल पुनर्गठन परियोजना–अनुमानित लागत ₹. 479.81 करोड़ का प्रस्ताव निम्नानुसार सूचित किया गया :–

1– लक्ष्य–झाँसी नगर की पेयजल व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जाना।

2– जल का श्रोत–माताटीला बॉध से कच्चे जल को शोधित कर।

3– परियोजना से लाभान्वित जनसंख्या 12.95 लाख एवं पेयजल आपूर्ति में वृद्धि 127 एम.एल.डी. (73 एम.एल.डी. से 200 एम.एल.डी.)।

4– परियोजना में प्रस्तावित कार्य–माताटीला बॉध पर रा–वाटर इन्टेक वर्क्स, 100 एम.एल.डी. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 9 नग कुल 8150 कि.ली. क्षमता के भूमिगत जलाशय, 10 नग कुल 21050 कि.ली. क्षमता के उच्च जलाशय, 305 कि.मी. वितरण प्रणाली का प्राविधान है।

सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा परियोजना की स्वीकृति इंगित लागतों की सीमा में इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि परियोजना का तकनीकी अप्रेजल सी.पी.एच.ई.ई.ओ., शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से करा लिया जाय। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना को दो चरणों में विभक्त किया जाय। प्रथम चरण में वितरण प्रणाली का सुद्धढ़ीकरण के कार्य इस प्रकार लिये जाये कि इनका उपयोग सुनिश्चित हो सके तथा दूसरे चरण में स्त्रोत का विकास, जल शोधन कार्य एवं अन्य आवश्यक कार्यों को सम्मिलित किया जाय।

(कार्यवाही: शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार/उ.प्र.जल निगम/एसएलएनए/ सम्बंधित नगर निकाय)

(2.3) रायबरेली पेयजल पुनर्गठन परियोजना–अनुमानित लागत ₹ 123.66 करोड़ का प्रस्ताव निम्नानुसार सूचित किया गया :–

1– लक्ष्य रायबरेली नगर की पेयजल व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जाना।

2– जल का स्त्रोत–नलकूप।

3– परियोजना से लाभान्वित जनसंख्या 3.66 लाख एवं पेयजल आपूर्ति में वृद्धि 28.14 एम.एल.डी.।

4– परियोजना में प्रस्तावित कार्य–नलकूप (17 नये व 17 रिबोर, प्रत्येक का श्राव 1000 एलपीएम), 4 सी.डब्लू.आर. कुल क्षमता 9750 किली, 9 उच्च जलाशय कुल क्षमता 7800 किली., 364 कि.मी. वितरण प्रणाली, 16.77 किमी. राइज़िंग मेन, जल संयोजन में मीटर का प्राविधान है।

5– परियोजना से राजस्व में ₹ 165.84 लाख की वार्षिक वृद्धि अनुमानित है।

सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा परियोजना की स्वीकृति इंगित लागतों की सीमा में इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि परियोजना का तकनीकी अप्रेजल सी.पी.एच.ई.ई.ओ., शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से करा लिया जाय।

(कार्यवाही: शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार/उ.प्र.जल निगम/एसएलएनए/सम्बंधित नगर निकाय)

(2.4) औरैया पेयजल पुनर्गठन परियोजना–अनुमानित लागत ₹ 48.78 करोड़ का प्रस्ताव निम्नानुसार सूचित किया गया :–

1– लक्ष्य औरैया नगर की पेयजल व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जाना।
2– जल का श्रोत–नलकूप।
3– परियोजना से लाभान्वित जनसंख्या 2.50 लाख एवं पेयजल आपूर्ति में वृद्धि 33 एम.एल.डी.।
4– परियोजना में प्रस्तावित कार्य–नलकूप (17 प्रत्येक 1200 एल.पी.एम. श्राव), 4 सी.डब्लू.आर. कुल क्षमता 2800 कि.ली., 6 उच्च जलाशय कुल क्षमता 11000 किली., 177 कि.मी. वितरण प्रणाली।
5– परियोजना से राजस्व में ₹ 352.00 लाख की वार्षिक वृद्धि अनुमानित है।

सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा परियोजना की स्वीकृति इंगित लागतों की सीमा में इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि परियोजना का तकनीकी अप्रेजल सी.पी.एच.ई.ई.ओ., शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से करा लिया जाय।

(कार्यवाही: शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार/उ.प्र.जल निगम/एसएलएनए/ सम्बंधित नगर निकाय)

(2.5) उन्नाव–शुक्लागंज पेयजल पुनर्गठन परियोजना–अनुमानित लागत ₹ 229.26 करोड़ का प्रस्ताव निम्नानुसार सूचित किया गया:–

1– लक्ष्य–उन्नाव एवं शुक्लागंज नगरों के पेयजल व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जाना।
2– जल का श्रोत–गंगा बैराज से 100 एम.एल.डी. कच्चे जल को शोधित कर {कानपुर गंगा बैराज के निर्माण के समय बाये तट पर उन्नाव एवं शुक्लागंज के पेयजल हेतु इण्टेक वेल का निर्माण कराया गया था}।
3– परियोजना से लाभान्वित जनसंख्या 3.53 लाख {उन्नाव की 2 लाख एवं शुक्लागंज की 1.53 लाख} एवं पेयजल आपूर्ति में वृद्धि 100 एम.एल.डी. {उन्नाव हेतु 60 एम.एल.डी. एवं शुक्लागंज हेतु 40 एम.एल.डी.}।
4– परियोजना में प्रस्तावित कार्य–शुक्लागंज में गंगा नदी के तट पर रा–वाटर इण्टेक वर्क्स, 100 एम.एल.डी. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 1 शुद्ध जल रिज़रवायर एवं पम्प गृह, 13 ज़ोनल सी.डब्लू.आर. व पम्प हाउस, 29.87 कि.मी. फीडरमेन, 12 कि.मी. राइज़िंग मेन, 16 उच्च जलाशय कुल क्षमता 8150 कि.ली., स्काडा सिस्टम का प्राविधान।

सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा परियोजना की स्वीकृति इंगित लागतों की सीमा में इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि परियोजना का तकनीकी अप्रेजल सी.पी.एच.ई.ई.ओ., शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से करा लिया जाय।

(कार्यवाहीः शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार/उ.प्र.जल निगम/एसएलएनए/ सम्बंधित नगर निकाय)

(2.6) गोरखपुर पेयजल (पार्ट–।।) परियोजना–अनुमानित लागत ₹ 61.04 करोड़ का प्रस्ताव निम्नानुसार सूचित किया गया :–

1– लक्ष्य गोरखपुर नगर के 70 वार्ड (21 पेयजल ज़ोन्स) में से 4 ज़ोन्स की पेयजल व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण किया जाना।

2– जल का श्रोत– नलकूप।

3– परियोजना से लाभान्वित जनसंख्या 3.67 लाख एवं पेयजल आपूर्ति में वृद्धि 40.32 एम.एल.डी.।

4– परियोजना में प्रस्तावित कार्य–नलकूप (23 नग प्रत्येक 1500 एल.पी.एम. श्राव), 5 सी.डब्लू.आर. कुल क्षमता 1100 कि.ली., 7 उच्च जलाशय कुल क्षमता 12100 कि.ली., राइज़िंग मेन 15.67 कि.मी., 307.3 कि.मी. वितरण प्रणाली।

सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा परियोजना की स्वीकृति इंगित लागतों की सीमा में इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि परियोजना का तकनीकी अप्रेजल सी.पी.एच.ई.ई.ओ., शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से करा लिया जाय। समिति द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि परियोजना में जलकल परिसरों से बाहर प्रस्तावित नलकूपों के लिये प्रस्तावित राइजिंग मेन की निर्माण लागत व तद्नुसार आपरेशनल कास्ट की कैपिटलाइज्ड कास्ट तथा संबंधित उच्च/भूमिगत जलाशय के यथासम्भव निकट स्थल (यदि भूमि निजी हो, तो क्रय हेतु आवश्यक धनराशि) पर प्रस्तावित करने पर राइजिंग मेन की निर्माण लागत तद्नुसार आपरेशनल लागत व भूमि की लागत की कैपिटलाइज्ड लागत आकंलित करते हुए दोनों विकल्पों में से मित्तव्ययी विकल्प को परियोजना मे प्रस्तावित किया जाय।

(कार्यवाहीः शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार/उ.प्र.जल निगम/एसएलएनए/ सम्बंधित नगर निकाय)

(2.7) महराजगंज पेयजल पुनर्गठन परियोजना–अनुमानित लागत ₹. 7.24 करोड़ का प्रस्ताव निम्नानुसार सूचित किया गयाः–

1– लक्ष्य महराजगंज नगर की पेयजल समस्या के निदान हेतु योजना परिकल्पित की गयी।

2– जल का श्रोत–नलकूप।

3– परियोजना से लाभान्वित जनसंख्या 0.78 लाख एवं पेयजल आपूर्ति में वृद्धि 3.5 एम.एल.डी.।

4– परियोजना में प्रस्तावित कार्य–नलकूप (3 प्रत्येक 1200 एल.पी.एम. श्राव), राइज़िंग मेन 2.20 कि.मी., 29.9 कि.मी. वितरण प्रणाली का प्राविधान है।

सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा परियोजना की स्वीकृति इंगित लागतों की सीमा में इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि परियोजना का तकनीकी अप्रेजल सी.पी.एच.ई.ई.ओ., शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से करा लिया जाय।

(कार्यवाहीः शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार/उ.प्र.जल निगम/एसएलएनए/ सम्बंधित नगर निकाय)

(2.8) कसया (कुशीनगर) पेयजल पुनर्गठन परियोजना–अनुमानित लागत ₹ 11.70 करोड़ का प्रस्ताव निम्नानुसार सूचित किया गया :–

1. लक्ष्य कसया नगर की पेयजल व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जाना।
2. जल का श्रोत– नलकूप।
3. परियोजना से लाभान्वित जनसंख्या 98192 तथा पेयजल आपूर्ति 135 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन की दर होगी।
4. परियोजना का प्रस्तावित कार्य–
   (क) नलकूप(नया)– 2 नग (1500 एल.पी.एम. प्रति नलकूप)
   (ख) नलकूप (रीबोर)– 1 नग।
   (ग)उच्च जलाशय–1000 कि.ली. क्षमता व 22मी. स्टेजिंग, 950 कि.ली. क्षमता व 20 मी. स्टेजिंग
   (घ) पाइप लाइन– 51 कि.मी. का कार्य प्रस्तावित है।
5. परियोजना से राजस्व में ₹ 97.83 लाख की वार्षिक वृद्धि अनुमानित है।

सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा परियोजना की स्वीकृति इंगित लागतों की सीमा में इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि परियोजना का तकनीकी अप्रेजल सी.पी.एच.ई.ई.ओ., शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से करा लिया जाय।

(कार्यवाही: शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार/उ.प्र.जल निगम/एसएलएनए/ सम्बंधित नगर निकाय)

(2.9) **अमेठी पेयजल पुनर्गठन परियोजना** अनुमानित लागत ₹ 17.704 करोड़ का प्रस्ताव निम्नानुसार सूचित किया गया:–

1–लक्ष्य–अमेठी नगर की पेयजल समस्या के निदान हेतु योजना परिकल्पित की गयी।

2– जल का श्रोत – नलकूप।

3– परियोजना से लाभान्वित जनसंख्या 0.46 लाख एवं पेयजल आपूर्ति में वृद्धि 4.56 एम.एल.डी.।

4– परियोजना में प्रस्तावित कार्य–– नलकूप (4 प्रत्येक 1200 एल.पी.एम. श्राव), 1 सी.डब्लू.आर. क्षमता 600 कि.ली., 1 उच्च जलाशय क्षमता 400 कि.ली., राइज़िंग मेन 5.91 कि.मी., 49.2 कि.मी. वितरण प्रणाली व 2 स्टाफ क्वार्टर्स का प्राविधान है।

5– परियोजना से राजस्व में ₹ 41.13 लाख की वार्षिक वृद्धि अनुमानित है।

सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा परियोजना की स्वीकृति इंगित लागतों की सीमा में इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि परियोजना का तकनीकी अप्रेजल सी.पी.एच.ई.ई.ओ., शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से करा लिया जाय। समिति द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि परियोजना में जलकल परिसरों से बाहर प्रस्तावित नलकूपों के लिये प्रस्तावित राइजिंग मेन की निर्माण लागत व तद्नुसार आपरेशनल लागत की कैपिटलाइज्ड लागत तथा संबंधित उच्च/भूमिगत जलाशय के यथासम्भव निकट स्थल (यदि भूमि निजी हो, तो क्रय हेतु आवश्यक धनराशि) पर प्रस्तावित करने पर राइजिंग मेन की निर्माण लागत,तद्नुसार आपरेशनल लागत व भूमि की लागत की

कैपिटलाइज्ड लागत आकंलित करते हुए दोनों विकल्पों में से मित्तव्ययी विकल्प को परियोजना मे प्रस्तावित किया जाय।

(कार्यवाहीः शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार/उ.प्र.जल निगम/एसएलएनए/ सम्बंधित नगर निकाय)

(2.10) सुल्तानपुर पेयजल पुनर्गठन परियोजना–अनुमानित लागत ₹. 50.722 करोड़ का प्रस्ताव निम्नानुसार सूचित किया गया :–

1–लक्ष्य सुल्तानपुर नगर, जो गोमती नदी के तट पर बसा है, की पेयजल समस्या के निदान हेतु योजना परिकल्पित की गयी।

2– जल का श्रोत – नलकूप।

3– परियोजना से लाभान्वित जनसंख्या 3.1' लाख एवं पेयजल आपूर्ति में वृद्धि 38.97 एम.एल.डी.।

4– परियोजना में प्रस्तावित कार्य–नलकूप (23 प्रत्येक 1200 एल.पी.एम. श्राव), 4 सी0डब्लू0आर0 कुल क्षमता 3800 किलोलीटर, 4 उच्च जलाशय कुल क्षमता 4450 किलोलीटर, राइज़िंग मेन 32.66 कि.मी., 107.96 किलोमीटर वितरण प्रणाली व 5 नग स्टाफ क्वार्टर्स का प्राविधान है।

5– परियोजना से राजस्व में ₹ 266.42 लाख की वार्षिक वृद्धि अनुमानित है।

सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा परियोजना की स्वीकृति इंगित लागतों की सीमा में इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि परियोजना का तकनीकी अप्रेजल सी.पी.एच.ई.ई.ओ., शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से करा लिया जाय। समिति द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि परियोजना में जलकल परिसरों से बाहर प्रस्तावित नलकूपों के लिये प्रस्तावित राइजिंग मेन की निर्माण लागत व तद्नुसार आपरेशनल लागत की कैपिटलाइज्ड लागत तथा संबंधित उच्च/भूमिगत जलाशय के यथासम्भव निकट स्थल (यदि भूमि निजी हो, तो क्रय हेतु आवश्यक धनराशि) पर प्रस्तावित करने पर राइजिंग मेन की निर्माण लागत, तद्नुसार आपरेशनल लागत व भूमि की लागत की कैपिटलाइज्ड लागत आकंलित करते हुए दोनों विकल्पों में से मित्तव्ययी विकल्प को परियोजना मे प्रस्तावित किया जाय।

(कार्यवाहीः शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार/उ.प्र.जल निगम/एसएलएनए/ सम्बंधित नगर निकाय)

(2.11) बड़ौत (बागपत) पेयजल पुर्नगठन परियोजना अनुमानित लागत ₹ 33.630 करोड़ का प्रस्ताव निम्नानुसार सूचित किया गया :–

1. लक्ष्य– बडौत नगर में पेयजल व्यवस्था के सुदृढीकरण किया जाना।
2. जल का श्रोत– नलकूप।
3. परियोजना से लाभान्वित जनसंख्या 183200 तथा पेयजल आपूर्ति 135 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन की दर होगी।
4. परियोजना का प्रस्तावित कार्य–
   (क)नलकूप (नया) – 7
   (ख)उच्च जलाशय – 8 कुल क्षमता 8300 किली.
   (घ)पाइप लाइन – 86.44 कि.मी. का कार्य प्रस्तावित है।
5. परियोजना से राजस्व में ₹ 38.428 लाख की वार्षिक वृद्धि अनुमानित है।

सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा परियोजना की स्वीकृति इंगित लागतों की सीमा में इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि परियोजना का तकनीकी अप्रेजल सी.पी.एच.ई.ई.ओ., शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से करा लिया जाय।

(कार्यवाही: शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार/उ.प्र.जल निगम/एसएलएनए/ सम्बंधित नगर निकाय)

(2.12) गाजियाबाद (सिस–हिन्डन क्षेत्र) पार्ट–1 पेयजल परियोजना अनुमानित लागत ₹ 90.271 करोड़ का प्रस्ताव निम्नानुसार सूचित किया गया :–

1– लक्ष्य गाजियाबाद नगर के सिस–हिन्डन क्षेत्र के कुछ वार्ड जहाँ पेयजल का अभाव है उनको 9 जोन्स में विभक्त कर पेयजल उपलब्ध कराना।

2– जल का श्रोत – नलकूप।

3– परियोजना से लाभान्वित जनसंख्या 1.85 लाख एवं पेयजल आपूर्ति में वृद्धि 47.635 एम.एल.डी.।

4– परियोजना में प्रस्तावित कार्य–

(क) नलकूप –30

(ख) भूमिगत जलाशय –9 कुल क्षमता 6950 किली.

(ग) उच्च जलाशय –8 कुल क्षमता 15200 किली.

(घ) वितरण प्रणाली –178.25 किमी.

(च) राइजिंग मेन –13.15 किमी.

(छ) गृह संयोजनों हेतु मीटरिंग की व्यवस्था–12000

5– परियोजना से राजस्व में ₹ 380.00 लाख की वार्षिक वृद्धि अनुमानित है।

सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा परियोजना की स्वीकृति इंगित लागतों की सीमा में इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि परियोजना का तकनीकी अप्रेजल सी.पी.एच.ई.ई.ओ., शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से करा लिया जाय।

(कार्यवाही: शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार/उ.प्र.जल निगम/एसएलएनए/ सम्बंधित नगर निकाय)

(2.13) जनपद इलाहाबाद की नगर पंचायत, लाल गोपालगंज पेयजल परियोजना अनुमानित लागत ₹ 15.264 करोड़ का प्रस्ताव निम्नानुसार सूचित किया गया :–

1. लक्ष्य–लाल गोपालगंज नगर की जनता को पाइप्ड पेयजल व्यवस्था सुलभ कराना।
2. जल का श्रोत– नलकूप।
3. परियोजना से लाभान्वित जनसंख्या 60941 लाख तथा पेयजल आपूर्ति 135 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन की दर होगी।
4. परियोजना का प्रस्तावित कार्य–

   (क) नलकूप – 5

   (ख) उच्च जलाशय – 2 कुल क्षमता 3300 किली.

   (ग) वितरण प्रणाली – 41.628 किमी.

   (घ) राइज़िंग मेन – 2.78 किमी0.

   (च) स्टाफ क्वाटर – 3
5. परियोजना से राजस्व में रू. 147.27 लाख की वार्षिक वृद्धि अनुमानित है।

सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा परियोजना की स्वीकृति इंगित लागतों की सीमा में इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि परियोजना का तकनीकी अप्रेजल सी.पी.एच.ई.ई.ओ., शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से करा लिया जाय।

(कार्यवाही: शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार/उ.प्र.जल निगम/एसएलएनए/ सम्बंधित नगर निकाय)

(2.14) गोरखपुर स्टार्म वाटर ड्रेनेज परियोजना अनुमानित लागत ₹ 432.92 करोड़ का प्रस्ताव निम्नानुसार सूचित किया गया :–

1– लक्ष्य– गोरखपुर नगर, जो राप्ती नदी के तट पर बसा है, में जल प्लावन की समस्या का निदान किया जाना आवश्यक है। नगर का औसत लेवल नदी के उच्चतम बाढ़ लेवल से नीचे स्थित होने के दृष्टिगत नगर में वर्षा जल की निकासी एवं व्यर्थ–जल भराव की समस्या का निदान किया जाना।

2– परियोजना से लाभान्वित जनसंख्या 9.33 लाख।

3– परियोजना में प्रस्तावित कार्य–196 कि.मी. नई पक्का ड्रेन्स, वर्तमान के 9 पम्पिंग स्टेशन्स पर पुराने निष्प्रयोज्य पम्पिंग प्लाण्ट को बदलना, आवश्यकतानुसार ड्रेन पर स्लैब का निर्माण, 3 स्थानों पर नये पम्पिंग प्लाण्ट की स्थापना एवं तत्संबंधी कार्य का प्राविधान है।

सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा उक्त परियोजना की स्वीकृति उक्त लागत की सीमा में इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि परियोजना को दो चरणों में विभक्त किया जाये, प्रथम चरण में जल प्लावन से ग्रसित क्षेत्रों में ड्रेनेज व्यवस्था प्रस्तावित की जाय, तथा दूसरे चरण में नगर के शेष भाग में ड्रेनेज व्यवस्था प्रस्तावित की जाय। परियोजना का तकनीकी अप्रेजल सी.पी.एच.ई.ई.ओ., शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से करा लिया जाय।

(कार्यवाही: शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार/उ.प्र.जल निगम/एसएलएनए/ सम्बंधित नगर निकाय)

(2.15) मोदीनगर (गाज़ियाबाद) स्टार्म वाटर ड्रेनेज परियोजना अनुमानित लागत ₹ 95.33 करोड़ का प्रस्ताव निम्नानुसार सूचित किया गया :–

1– लक्ष्य–मोदीनगर नगर क्षेत्र के वर्षा जल की निकासी एवं जल भराव की समस्या का निदान किया जाना।

2– परियोजना से लाभान्वित जनसंख्या 6.31 लाख ।

3– परियोजना में प्रस्तावित कार्य–44300 मी. नई ड्रेन न्यूनतम् साइज 0.65 मी. X 0.35 मी. एंव अधिकतम् साइज 3.40मी. X 1.40 मी., आऊट फ़ाल ड्रेन (कादराबाद ड्रेन) की 808 मी. लम्बाई में रिमाडलिंग एवं 51 भिन्न–भिन्न साइज के कल्वर्ट्स का निमार्ण प्रस्तावित की गयी है।

सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा उक्त परियोजना की स्वीकृति उक्त लागत की सीमा में इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि परियोजना को दो चरणों में विभक्त किया जाये, प्रथम चरण में जल प्लावन से ग्रसित क्षेत्रों में ड्रेनेज व्यवस्था प्रस्तावित की जाय, तथा दूसरे चरण में नगर के शेष भाग में ड्रेनेज व्यवस्था प्रस्तावित की जाय। परियोजना का तकनीकी अप्रेजल सी.पी.एच.ई.ई.ओ., शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से करा लिया जाय।

(कार्यवाही: शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार/उ.प्र.जल निगम/एसएलएनए/ सम्बंधित नगर निकाय)

(2.16) गाज़ियाबाद (टी.एच.ए.) स्टार्म वाटर ड्रेनेज पुनर्गठन परियोजना अनुमानित लागत ₹ 230.40 करोड़ का प्रस्ताव निम्नानुसार सूचित किया गया :–

1– लक्ष्य–गाज़ियाबाद (टी.एच.ए.) की जल निकासी की मुख्य समस्या का निदान करना ताकि नगरीय क्षेत्र में अवस्थापना सुविधा का विकास व जनजनित रोगों का काफी हद तक निदान होगा। शहर के पर्यावरण में सुधार होगा।

2– परियोजना में प्रस्तावित कार्य–

(क) 8.043 किमी. आर.सी.सी. की नई ड्रेन का निर्माण।

(ख) 25.636 किमी. पुरानी ड्रेनेज की रीमाडलिंग का कार्य।

(घ) 14.574 कि.मी. ड्रेन की सफाई एवं मरम्मत का कार्य।

(ड़) आवश्यकतानुसार ड्रेन पर स्लैब का निर्माण एवं तत्सम्बन्धी कार्य।

(च) ग्राम अर्थला में पानी की निकासी हेतु फ्लेप गेट एवं ड्रेन पाइप का कार्य।

सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा उक्त परियोजना की स्वीकृति उक्त लागत की सीमा में इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि परियोजना को दो चरणों में विभक्त करके प्रथम चरण में अति आवश्यक ऐसे कार्यों को सम्मिलित किया जाय जिनकी उपयोगिता सुनिश्चित हो सके तथा दूसरे चरण में अवशेष कार्यों को प्रस्तावित किया जाय। परियोजना का तकनीकी अप्रेजल सी.पी.एच.ई.ई.ओ., शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से करा लिया जाय।

(कार्यवाहीः शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार/उ.प्र.जल निगम/एसएलएनए/ सम्बंधित नगर निकाय)

(2.17) गाज़ियाबाद (टी.एच.ए./इन्दिरा पुरम जोन पार्ट–1) सीवरेज परियोजना अनुमानित लागत ₹ 255.48 करोड़ का प्रस्ताव निम्नानुसार सूचित किया गया :–

1– लक्ष्य–गाज़ियाबाद नगर की ट्रान्स–हिन्डन क्षेत्र (इन्दिरा पुरम जोन पार्ट –1) में सीवेज की निकासी की समस्या का निदान किया जाना ।

2– परियोजना से लाभान्वित जनसंख्या 7.39 लाख ।

3– परियोजना में प्रस्तावित कार्य –– 142 कि.मी. सीवर पाइपलाइन, राइज़िंग मेन 0.80 कि.मी. व 5 नग पूर्व में बने पम्पिंग स्टेशनों का अपग्रेडेशन कार्य एवं तत्संबंधी कार्य। इन्दिरापुरम जोन में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्मित 56, 56 एवं 74 एम.एल.डी. के 3 नग सीवरेज शोधन सयंत्रों का प्रयोग किया जायेगा। अलग से किसी नये सीवरेज शोधन संयत्र का प्राविधान नही किया गया है।

सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा उक्त परियोजना की स्वीकृति इंगित लागतों की सीमा में इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि उक्त परियोजना का तकनीकी अप्रेज़ल सी.पी.एच.ई.ई.ओ., शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से करा लिया जाय।

(कार्यवाहीः शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार/उ.प्र.जल निगम/एसएलएनए/ सम्बंधित नगर निकाय)

एजेण्डा बिन्दु 3. यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यांश के अन्तर्गत स्वीकृत 64 योजनाओं की 31 मार्च, 2013 तक की प्रगति की स्थिति के सम्बंध में।

मा. समिति को अवगत कराया गया कि स्वीकृत 64 परियोजनाओं (37 पेयजल, 5 सीवरेज, 2 रोड्स एण्ड फ़्लाई–ओवर, 19 सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट एवं 1 स्टार्म वाटर ड्रेनेज की परियोजनाएं) में से 57 परियोजनाओं की केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की धनराशि प्राप्त हो चुकी है एवं मार्च, 2013 तक ₹ 963.13 करोड़ का व्यय किया जा चुका है एवं औसत भौतिक प्रगति 82 प्रतिशत है। 33 परियोजनायें–अलीगढ़ सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, बस्ती पेयजल, फ़िरोज़ाबाद पेयजल, गोरखपुर पेयजल, वृन्दावन पेयजल, बागपत पेयजल, बिजनौर पेयजल, मोदीनगर पेयजल, बरूआसागर पेयजल, मुरादाबाद सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, नानपारा पेयजल, बुलन्दशहर पेयजल, लोनी पेयजल, कन्नौज सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, मुज़फ़्फ़रनगर सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, बलिया पेयजल, खुर्जा पेयजल, लोनी सीवरेज, कन्नौज पेयजल, रायबरेली सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, बाराबंकी सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, एटा पेयजल, गाज़ीपुर पेयजल, पडरौना पेयजल, लहरपुर पेयजल, बलरामपुर पेयजल, इटावा पेयजल, गोण्डा पेयजल, मैनपुरी पेयजल, शाहजहॉपुर पेयजल, सिद्धार्थनगर पेयजल, उन्नाव पेयजल व रामनगर पेयजल को पूर्ण किया जा चुका है। 26 परियोजनाओं के पुनरीक्षित डी.पी.आर. व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के अपरान्त शासन से सेन्टेज सहित स्वीकृत हो चुकी हैं। 20 परियोजनाओं के पुनरीक्षित डी.पी.आर. की व्यय वित्त समिति द्वारा सेन्टेज सहित स्वीकृति की गई है तथा 4 परियोजनाएं यथा–लहरपुर पेयजल, फ़ैज़ाबाद पेयजल, बिजनौर पेयजल व मुरादाबाद पेयजल के पुनरीक्षित डी.पी.आर. की राज्य वित्त समिति द्वारा सेन्टेज रहित स्वीकृति की गई है। 10 परियोजनाएं यथा–बागपत पेयजल, बस्ती पेयजल, उन्नाव पेयजल, रामनगर पेयजल, कन्नौज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, मुज्जफ्फरनगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, बिजनौर पेयजल, सिद्धार्थनगर पेयजल, मोदीनगर पेयजल एवं रायबरेली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के कम्पलीशन सर्टीफ़िकेट भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं।

समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि पूर्ण की गयी। 33 परियोजनाओं की "कम्प्लीशन सर्टीफ़िकेट" प्रत्येक दशा में मई, 2013 तक भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित की जाय तथा अन्य समस्त परियोजनाओं को लक्षित अवधि में पूर्ण किया जाय।

(कार्यवाही: उ.प्र. जल निगम/सी.एण्ड डी.एस./सम्बंधित नगर निकाय/एस.एल.एन.ए.)

बैठक उपर्युक्तानुसार हुए विचार–विमर्श एवं निर्णयोपरान्त स–धन्यवाद सम्पन्न हुई।

17/4/2013

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्या–2174/नौ–5–13–51सा/2005टीसी
लखनऊः दिनांक 17 अप्रैल, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, आई.एफ. डिवीजन, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, निमार्ण भवन, नई दिल्ली।
4. सलाहकार, योजना आयोग, योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
5. निदेशक (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, निमार्ण भवन, नई दिल्ली।
4. टी.सी.पी.ओ., टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग आर्गेनाइज़ेशन, भारत सरकार, ई–ब्लाक, विकास भवन, आई.पी. स्टेट, नई दिल्ली।
5. संयुक्त निदेशक, एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. श्री वी. के. चौरसिया, संयुक्त सलाहकार, सी.पी.एच.ई.ई.ओ., शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
7. सुश्री प्रोमिला भल्ला, एसोशियेट टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानर, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग आर्गेनाइज़ेशन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. उपाध्यक्ष, गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण, गाज़ियाबाद।
9. निदेशक/एस.एल.एन.ए., स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 8वाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. श्री उमा शंकर सिंह, उप सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12. प्रबन्ध निदेशक, उ. प्र. जल निगम, 6 राण प्रताप मार्ग, लखनऊ।
13. निदेशक, सी. एण्ड डी. एस., उ. प्र. जल निगम, टी.सी.–38, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
14. संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय, उ0प्र0(द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय)।
15. टीम लीडर (पी.एम.यू.), स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
16. गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।